

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

राष्ट्रीय साधारण सभा प्रस्ताव

25 सितम्बर 2016, डोल आश्रम, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव-1

राष्ट्र केन्द्रित शिक्षा नीति का निर्माण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए

भारत के अब तक प्रसूत सभी शिक्षा-प्रकल्पों में इस तथ्य को ठीक तरह से उभारा गया है कि शिक्षा किसी भी देश की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्द्धन तथा राष्ट्र के समग्र विकास का आधार होती है। 1948-49 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1952-53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1953 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो 1985 में संशोधित हुआ, 1964-66 के शिक्षा आयोग, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 की नई शिक्षा-नीति में नई पीढ़ी को संस्कार की दृष्टि से श्रेष्ठ और आजीविका की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्य-योजनाएँ तैयार की गईं। देश में शिक्षा की नई नीति बनाई जा रही है। यह 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेगी। समाज तेजी से बदल रहा है, ऐसे में समय के साथ शिक्षा नीति की समीक्षा तथा उसका पुर्नलेखन आवश्यक है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के समय इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या पूर्ववर्ती नीति को पूरी तरह लागू किया गया या नहीं? जिन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका तो क्या कारण रहे। आज यदि मूल्याकंन करें तो 1986 की शिक्षा नीति को अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। ऐसी शिक्षा नीति बनाने का कोई अर्थ नहीं निकलता जिसे लागू नहीं किया जा सके। इससे लाभ के स्थान पर हानि की संभावना रहती है।

शिक्षा को लेकर अब तक हुई प्रगति को देखते हुए लगता है कि कार्यान्वयन के स्तर पर देश कमोबेश वहीं खड़ा है, जहाँ वह पहले खड़ा था। शिक्षा पर देश की सकल घरेलू आय (जीडीपी) का न्यूनतम दस प्रतिशत व्यय होना चाहिए, लेकिन सरकार उससे बहुत पीछे हैं। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन न जुटाना नीति के कार्यान्वयन के स्तर पर एक बुनियादी खामी है।

शिक्षा एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम-ढाँचे पर आधारित होनी चाहिए, जिसके तहत राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव को जगाने वाले विषय व्यापक स्तर पर सम्मिलित किए जाएँ, लेकिन इस दिशा में अब तक उल्लिखित करने वाला कोई भी कार्य नहीं हुआ है। अनेक बुनियादी मुद्दों, जैसे एक समान स्कूल प्रणाली लागू करने, स्कूल पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक शिक्षा का एकीकरण करने, एक समान माध्यमिक शिक्षा लागू करने, उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्ता देने, सरकार-संचालित प्रणाली के बाहर चल रहे स्कूलों के लिए पाठ्य-सामग्री की नियामक व्यवस्था करने आदि पर प्रगति अपेक्षित है।

बच्चों के बस्ते का बोझ कम करना और उन्हें विद्यालयों में उन्मुक्त वातावरण देना सुनिश्चित करने के स्थान पर देश के बच्चों पर पुस्तकों और उत्तर-पुस्तिकाओं का भार बढ़ता ही जा रहा है। बस्ता-मुक्त शिक्षा के कार्य को एक अभियान की तरह लिया जाना

था, लेकिन केंद्र व राज्य सरकारों की कार्य-विधि में एकरूपता न होने के कारण ऐसा हो नहीं पाया है। नई शिक्षा नीति में ऐसे लचीले पाठ्यक्रमों का समावेश किया जावे जिससे हर प्रकार के विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाया जा सके। बच्चे को नौकरी के लिए नहीं अपितु समाज के लिए तैयार किया जा सके। विषयों को सीखना जितना सुगम मातृभाषा में होता है, उतना अन्य भाषाओं में नहीं होता। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा में भी मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के संबंध में सरकार द्वारा अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है।

मुहल्ले के स्कूल की अवधारणा को साकार करने के गम्भीर प्रयास किए जावें। प्रत्येक मुहल्ले में बच्चों के खेलने हेतु निःशुल्क, समुचित व सामुहिक व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा अनिवार्यतः की जावे। खेती, पशुपालन और अन्य समस्थिति उद्यमों से सम्बद्ध विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता से सम्मिलित किए जाने चाहिए, लेकिन स्वतन्त्रता के बाद से अभी तक व्यावहारिक शिक्षा से जुड़े इस कार्य में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।

शिक्षा-व्यवस्था में राजनैतिक हस्तक्षेप एक बहुत बड़ा दोष है। कहा गया था कि शिक्षा का क्षेत्र चरित्र-निर्माण का क्षेत्र है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे लोग युवाओं का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का कोई अवसर नहीं छूकते हैं। शिक्षा-व्यवस्था राजनीति से मुक्त और पूर्णतया आत्मनिर्भर होनी चाहिए। इस उद्देश्य की सिद्धि की दिशा में कार्यान्वयन के स्तर पर बहुत बड़ी दुर्बलता सामने आई है। इस हेतु एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना अविलंब की जानी चाहिए। पाठ्यक्रमों में आज भी हमारी सभ्यता और संस्कृति के गौरव को दर्शाने वाला इतिहास प्राथमिकता के स्तर पर शामिल नहीं है। देश की सभ्यता और संस्कृति के गौरव को उभारने वाले शिक्षा-कार्यक्रमों की रचना वर्तमान की महत्ती आवश्यकता है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की साधारण सभा शासन से यह माँग करती है कि व्यापक राष्ट्रीय हित में भारतीय सभ्यता और संस्कृति में निहित शाश्वत जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठापना करके आजीविकाक्षम युवा तैयार करने का संकल्प हमारी शिक्षा-नीति में प्रकट हो तथा उसे पूरा करने के लिए कार्यान्वयन के स्तर तंत्र को सक्रिय करने के गंभीर प्रयास किए जायें।

महासंघ की साधारण सभा यह माँग करती है कि शिक्षा में वास्तविक, किंतु व्यावहारिक एकरूपता लाने, प्रौढ़-शिक्षा जैसे युगप्रवर्तनकारी कार्यक्रम को जनांदोलन बनाने, समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा सुलभ कराने, बुनियादी अर्थात् प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने, देश के अधिकाधिक स्थलों पर आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करने, माध्यमिक शिक्षा को देश के स्तर पर समान और व्यवसायपरक बनाने, उच्च-शिक्षा को स्वायत्त बनाकर उसका पूरा प्रबंधन शिक्षकों के हाथ में देने, उच्च-शिक्षा में अंतरानुशासनिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित करने, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, नियामक संस्थाओं को सुदृढ़ करने, खेल, शारीरिक शिक्षा व योग को बढ़ावा देने तथा एक सक्षम मूल्यांकन-प्रक्रिया अपनाने आदि को नई शिक्षा-नीति में शामिल करने के संकल्प के साथ इसे कार्यान्वित करने के लिए शिथिलता न बरती जाए।

महासंघ की साधारण सभा का सुविचारित मत है कि शिक्षा में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक विकेंद्रीकृत प्रबंधन-ढाँचे को धरातल पर लाकर मूर्त रूप दिया जाना भी बहुत जरूरी है। साधारण सभा का प्रस्ताव है कि उपरोक्त कार्यक्रमों को शामिल करते हुए नई शिक्षा नीति के प्रावधानों की घोषणा के साथ ही उसकी क्रियान्विती के लिए आवश्यक वैधानिक एवं आर्थिक प्रावधान सूनिश्चित किए जावें।

प्रस्ताव-2

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की मर्यादा सुनिश्चित की जाए

भारत एक विविधताओं से भरपूर राष्ट्र है। यहाँ प्राकृतिक ही नहीं, वैचारिक वैविध्य भी सदा रहा है। नाना मत-पन्थ व विचारधाराओं का सह-अस्तित्व यहाँ प्राचीनकाल से ही रहा है। विभिन्न गम्भीर एवं विवादास्पद विषयों पर खुले शास्त्रार्थ की परम्परा की बात हो या ग्रन्थ लेखन में पूर्वपक्ष व उत्तरपक्ष के प्रतिपादन के साथ खण्डन-मण्डन की परम्परा की बात हो; यह सब हमारे मुक्त बौद्धिक विमर्श के उज्ज्वल स्मारक हैं। 'आ नो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः' (Let the Nobel thoughts come from all the sides) की प्रार्थना करने वाले हम लोगों को चिन्तन व विचार-विनिमय में पूर्ण स्वातन्त्र्य सहज उपलब्ध रहा है। आधुनिक भारत में भी संविधान का अनुच्छेद 19 (1) अपने प्रत्येक नागरिक को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता देता है।

किन्तु विगत में अनेक घटनाओं ने यह सिद्ध किया है कि इस संविधान-प्रदत्त अधिकार की आड़ में अमर्यादित और बेहूदे आचरण की दुःखद प्रवृत्ति बढ़ रही है। बात-बात में अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) की दुहाई देने वाले क्या यह नहीं जानते कि अभिव्यक्ति का यह अधिकार असीम नहीं बल्कि ससीम है और वही संविधान अपने अगले अनुच्छेद 19 (2) में इस मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध भी लगाता है। इसी संविधान के अनुच्छेद 51 (अ) में मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान है।

पश्चिम में अभिव्यक्ति के एक बड़े पैरोकार जॉनस्टुअर्ट मिल ने कहा था कि अपनी छड़ी घुमाने की आपकी स्वतन्त्रता वहाँ समाप्त हो जाती है, जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। हाल ही में कुछ शिक्षण-संस्थाओं और सार्वजनिक सभाओं में जिस प्रकार से खुलेआम देशद्रोहपूर्ण और देशभक्ति का नाम सिकता वाली अभिव्यक्तियाँ हुई हैं तथा राजनैतिक गलियारों और कठिपय तथा कथित बुद्धिजीवियों की ओर से उस सबके समर्थन में जैसी प्रतिक्रियाएँ हुई हैं, वे दुःखद हैं। इस प्रकार की बेहूदगी और बेशर्मी के लिए अभिव्यक्ति की आजादी को कवच के रूप में कदापि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

इसी सन्दर्भ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के नाम पर –

- 1) राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व संप्रभुता के साथ खिलवाड़ अक्षम्य है।
- 2) धर्म, संस्कृति, सनातन परम्पराओं व मूल्यों का अवमूल्यन असद्य है।
- 3) राष्ट्रीय महापुरुषों, संस्थाओं, मानविन्दुओं, प्रतीकों, राष्ट्रध्वज-राष्ट्रगान आदि की अवमानना अस्वीकार्य है।

अभिव्यक्ति के स्वतन्त्र्य का पूर्ण समर्थन करते हुए भी महासंघ का यह सुदृढ़ मत है कि इस स्वतन्त्र्य को भी एक लक्ष्मण रेखा से मर्यादित होना चाहिये।



प्रस्ताव-3

शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण किया जाए

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की साधारण सभा केन्द्र एवं राज्य सरकारों से आग्रह करती है कि उनके स्तर पर हल करने योग्य शिक्षा एवं शिक्षकों की निम्न समस्याओं पर आवश्यक सकारात्मक कार्यवाही करें -

1. मध्यान्ह भोजन योजना को प्रभावी बनाने पर पुनर्विचार हो। इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे पूर्ण सुविधा युक्त किचन, शुद्ध पेयजल, बर्टन, डायनिंग हाल आदि उपलब्ध कराये जायें, बढ़ती मंहगाई और दाल सब्जी की आसमान छूटी कीमतों के मुकाबले इसके संचालन हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि में भी वृद्धि की जाए, इसमें वृद्धि की जाय और इस योजना से शिक्षकों को पूर्णतया मुक्त रखा जाय। इसका प्रबन्धन किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाय।
2. शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षिक कार्यों यथा जनगणना, पशुगणना, आर्थिक गणना, बी.एल.ओ., भवन निर्माण आदि से मुक्त किया जाए।
3. शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठेका प्रथा यथा शिक्षा मित्र, संविदा शिक्षक, प्रबोधक, पैरा टीचर आदि नामों से की जाने वाली नियुक्तियों को तुरन्त समाप्त करते हुए स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर रिक्त पड़े शिक्षक पदों को अविलम्ब स्थायी रूप से भरा जाए।
4. देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों, कार्यभार में अनेक प्रकार की असमानताएँ एवं विसंगतियाँ हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त का पालन करते हुए सम्पूर्ण देश में सभी स्तरों पर शिक्षकों के लिए समान वेतनमान नीति एवं समान सेवा शर्तें लागू की जाय।
5. शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की नियमित भर्ती करने को सुनिश्चित किया जाए तथा ऐसा न करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं।
6. नवीन यूजीसी वेतन समीक्षा का देर से ही सही, पर अंततः: गठन करने का महासंघ स्वागत करता है तथा साथ ही अपेक्षा करता है कि पिछले वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जाये, कई राज्यों ने यूजीसी रेगुलेशन के अनुरूप पदनाम, पी.एच.डी. की प्रोत्साहन वृद्धियाँ, पूर्व सेवा का लाभ तथा रेग्युलेशन में वर्णित अन्य सुविधाओं को लागू नहीं किया है। योग्यतम व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए एंट्रीपॉइंट पर उच्च वेतनमान, सम्पूर्ण सेवा काल में समयबद्ध न्यूनतम 4 प्रोत्तियाँ, ए.पी.आई.सिस्टम को हटाने की व्यवस्था की जाय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के लिए 7 वें वेतन समीक्षा समिति की सभी सिफारिशें समान रूप से भारत संघ के सभी राज्यों में लागू हों।
7. शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए उचित शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात आवश्यक है। दुर्भाग्य से अधकांश संस्थानों, सरकारों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है, कई स्थानों पर शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात की गलत व्याख्या करने से ढाँचा चरमरा गया है। शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात के प्रावधान अधिकतम सीमा को व्यक्त करते हैं, अतः प्राथमिक शिक्षा में जितनी कक्षाएँ उतने न्यूनतम शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा में जितने विषय उतने न्यूनतम विषयाध्यापक तथा उच्च शिक्षा में उचित शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात की व्यवस्था ही शिक्षार्थियों के सम्पूर्ण विकास को संभव बना सकती है।
8. शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी की स्थिति से निपटने, उनके अनुभव का लाभ उठाने एवं शिक्षा के कैरियर को अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में सभी स्तरों पर शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जानी चाहिए।
9. एक जनवरी 2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों के लिए लागू पेंशन योजना को हटाकर पूर्व की पेंशन योजना लागू की जाए। नवीन पेंशन योजना शिक्षकों को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है तथा उसने शिक्षकों के मन में भविष्य के प्रति आशंकाओं को बढ़ाया है।
10. ज्ञान सृजन के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर शोध आवश्यक है। महासंघ की साधारण सभा आग्रह करती है कि शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं राष्ट्र के व्यापकहित में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शोध हेतु सुदृढ़ व्यवस्थाएँ की जाए।

